प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-205/2025 दिनांक 24.07.2025)
दिनांक-24.07.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

हिन्दू नाबालिग लड़की को भगाकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12.07.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पर वादी पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को समसाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर ग्राम पिपराबाजार थाना नेबुआ नौरंगिया भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 270/2025 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीड़िता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.07.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया की पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त समसाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर ग्राम पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछ-ताछ विवरण–
वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त समसाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर साकिन पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया गया तथा उसके द्वारा बताया गया कि वह बैंगलोर में कमा रहा था एवं वर्तमान में पीड़िता को भगाकर धर्मपरिवर्तन करा कर केरला (राज्य) के नजदीक लेकर गया था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता का नाम बदलकर नरगीस खातून कर दिया गया और इसी नाम से आधार कार्ड बनवा दिया गया।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 270/2025 धारा 137(2)/87/64/340(2)/336(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021

गिरफ्तार अभियुक्त-

Edit with WPS Office

समसाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर ग्राम पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
पीड़िता का बनवाया गया एक अदद कूट रचित आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1- थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2- उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3- उ0नि0 श्री संदीप यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4- का0 धर्मेन्द्र गौतम थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5- म0का0 पुष्पा देवी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-52 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-49, व्यक्ति-136
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-47)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office